(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

श्रीमती मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 828-दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.04.2015 पारित द्वारा तहसीलदार, बड़नगर जिला उज्जैन- प्र0क0 101 बी 121/2014-15

राहुल पुत्र सुरेश ग्राम खरसौद कलॉ तहसील बड़नगर जिला उज्जैन ---आवेदक

विरूद्ध

सरपंच ग्राम पंचायत खरसौद कलॉ तहसील बड़नगर जिला उज्जैन ---अनावेदक

(श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक - आवेदक)

आ दे श

(आज दिनांक 01-10-2015 को पारित)

तहसीलदार, बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 101 बी 121/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17-4-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक व्दारा निगरानी मेमो में दिये गये विवरण अनुसार उसे ग्राम पंचायत खरसौद कलॉ ने तैयार कराये गये मार्केट में भूखंड आवंटित किया, जिस पर उसके द्वारा दुकान निर्माण कर मोवायल रिपेयरिंग एंव फोटो कापी मशीन का व्यवसाय किया जा रहा है, परन्तु तहसीलदार बड़नगर ने आवेदक के विरूद्ध प्र. क्र. 101 बी 121/2014-15 पंजीबद्ध कर उक्तांकित भूख़ंड अतिकमित मानकर अंतरिम आदेश से नोटिस जारी कर उत्तर मांगा, जो आवेदक ने दि. 17.4.2015 को प्रस्तुत किया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर एंव निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने वही तर्क दोहराये हैं जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये है, परन्तु आवेदक के अभिभाषक यह नहीं बता सके कि तहसीलदार बड़नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 101 बी 121/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17-4-2015 से वह किस कारण से व्यथित हैं, जबकि तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 17-4-15 इस प्रकार है :-

**** प्रकरण पेश. अना.राहुल एंव सुमित का नोटिस तामील उपरांत पेश । अना. राहुल की ओर से अभि. एम.एल.यादव व्दारा अभिभाषक पत्र पेश । प्रकरण में अना. अभि. व्दारा जबाव पेश । प्रकरण CF 27-4-15 ****

तहसीलदार बड़नगर व्दारा प्रकरण में जांच जारी है एंव आवेदक को तहसीलदार के समक्ष सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त है जहॉ वह अपना पक्ष प्रबलरूप से प्रस्तुत कर सकता हैं। इसके अतिरिक्त यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय व्दारा M.P.L.R.C. के अंतर्गत पारित किसी आदेश के विरूद्व नहीं की गई है जबकि M.P.L.R.C. की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल के समक्ष अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों व्दारा किए गए किसी आदेश के विरूद्व हो सकती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा प्र. क. 101 बी 121/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दि. 17-4-2015 हस्तक्षेप योग्य न होने निगरानी अग्राह्य की जाती है। तहसीलदार बड़नगर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह आवेदक को सुनवाई का एंव लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण का शीध्र निराकरण करें।

(श्रीमती मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर